न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 12/2020 (GCMS 2020/00021)

प्रार्थीगण

1. भागूराम पुत्र बालूराम जाति जाट उम्र 51 वर्ष
2. चेनाराम बालूराम जाति जाट उम्र 45 वर्ष
3. छोटूराम बालूराम जाति जाट उम्र 38 वर्ष
4. जुगल किशोर बालूराम जाति जाट उम्र 31 वर्ष
5. भींवाराम बालूराम जाति जाट उम्र 33 वर्ष निवासीगण गोपालपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. बन्नाराम पुत्र रतनाराम
2. झीमरी देवी पत्नी हीराराम
3. भगवानी देवी पत्नी बनाराम
4. भंवरीदेवी पत्नी परसाराम
5. हीराराम पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासीयान ग्राम शिवदानपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
6. उप पंजीयक कुचामनसिटी
7. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

प्रार्थना–पत्र रास्ता दिलाने बाबत अन्तर्गत धारा 251 (A) R.T.Act 1955

उपस्थित – श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 26.3.2021

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है ग्राम गोपालपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 137 रकबा 5.73 हैक्टर भूमि सहखातेदारी की दर्ज चली आ रही है,अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम गोपालपुरा के खसरा नम्बर 138 रकबा 1.46 हैक्टर खसरा नम्बर 146/129 रकबा 1.65 हैक्टर कुल रकबा 3.11 हैक्टर खातेदारी की दर्ज चली आ रही है, खसरा नम्बर [illegible] रकबा 5.[illegible] प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आने–जाने का कोई कटाणी मार्ग रास्ता नहीं है, ऐसे ही आपसी सुविधानुसार आना–जाना करते है, प्रार्थीगण [illegible] खसरा नम्बर 146/129 रकबा 1.65 हैक्टर की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे गै.मु.कटाणी मार्ग होते हुए 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता की आवश्यकता है जिससे प्रार्थीगण को अपने खेत व भूमि तक आने–जाने में सुविधा हो सके व ट्रेक्टर, गाड़ी, मवेशियान आदि लाने–ले जाने में कोई असुविधा नहीं हो इसलिए रास्ते की आवश्यकता है, उपरोक्त भूमि में खसरा नम्बर 137

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:39:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

में आने–जाने के लिए खसरा नम्बर 146/129 में पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता कायम किया जाने की आवश्यकता है इसलिए यह रास्ते का प्रार्थना–पत्र लाना आवश्यक हुआ है, अतः उपरोक्तानुसार गै.मु.रास्ता दर्ज कराये जाने के आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रदान करावे, प्रार्थीगण सरकारी डी.एल.सी.दर से जो मुआवजा बनता है वह अदा करने को तैयार है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद इतला अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा मौका रिपोर्ट अपने पत्रांक/भू.अ./250 दिनॉक 19.02.2021 के संलग्न मौका रिपोर्ट 18.02.2020 की प्रति इस न्यायालय में प्रेषित की, जो शामिल मिसल उपलब्ध है।

वकील प्रार्थी की एक–पक्षीय बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, जमाबन्दी नकल समवत 2071–75 ग्राम गोपालपुरा के खसरा नम्बर 138 रकबा 1.46 हैक्टर खसरा नम्बर 146/ मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे शुद्वा भूमि खसरा नम्बर 137 में आ9 1.65 हैक्टर में बन्नाराम पुत्र रतानाम हिस्सा 1/4 जाति जाट सा. शिवदानपुरा खातेदार भगवानीदेवी पत्नी बनामरा हिस्सा 3/8 जाति जाट सा. शिवदानपुरा खातेदार भंवरीदेवी पत्नी परसाराम हिस्सा 1/8 जाति जाट सा. शिवदानपुरा खातेदार हीराराम पुत्र रतनाराम हिस्सा 1/4 जाति जाट सा. शिवदानपुरा खातेदार दर्ज है, ग्राम गोपालपुरा के खसरा नम्बर 137 रकबा 5.73 हैक्टर में प्रार्थीगण का नाम खातेदार में दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थीगण को आमद रफत हेतु खसरा नम्बर 146/129 में से रास्ते की भूमि चाहिए जिसके लिए वह सरकारी डी.एल.सी. अनुसार भुगतान करने को तैयार है। मौका रिपोर्ट दिनॉक 18.02.2020 नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 137 में आने जाने हेतु प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 146/129 के बिन्दू संख्या A to B की लम्बाई 144 मीटर चौड़ाई 4 मीटर है बिन्दू संख्या A to B के मध्य कुऑ, समाधी भवन, बिजल के पोल लगे हुए है मौके पर छोटे बड़े पेड़ नही है, वही दूसरी ओर C to D की लम्बाई 124 मीटर तथा चौड़ाई 04 मीटर है C to D में कोई छोटे बड़े पेड़ इत्यादि नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मौका रिपोर्ट एव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि से साबित होने से काबिल स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाता है तथा निम्न प्रकार आदेश दिये जाते है

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:39:25 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

ग्राम गोपालपुरा पटवार मण्डल दीपपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 137 मे आने जाने व आमद रफत हेतु खसरा नम्बर 146/129 रकबा में मौका रिपोर्ट दिनॉक 18.02.2020 में अंकित नजरी नक्शे अनुसार C to D लम्बाई 124 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर कुल रकबा 0.0496 हैक्टर रास्ता सरकारी (कटाणी) कायम किया जाता है। उक्त

उपखण्ड अधिकारी

जमीन की डी.एल.सी दर 249935/–रूपये प्रति हैक्टर से 12397/– का दोगुना अर्थात 24794/–रूपये अक्षरे – चौबीस हजार सात सौ चौरानवे रूपये प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता की मुआवजा राशि जरिये बैंक डी.डी./बैंक ड्राफट बैंक से जमा कराकर पेश करने पर तहसीदार कुचामनसिटी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने तथा नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहरीर जारी हो । उक्त राशि अप्रार्थीगण एक न्यायालय में उपस्थित होकर प्राप्त कर लेवें ।

आदेश आज दिनॉक 26-03-2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट **RAS**)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:39:25 IST
Reason: SelfAttested